

प्रत्यक्ष करों पर 2025 का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों पर मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2025 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 14) को आज संसद में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में ₹ 7,929.21 करोड़ के कर प्रभाव की 481 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल की गई हैं।

प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण आपत्तियाँ निम्नवत हैं:

- वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2022-23 में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्ति ₹16,63,686 करोड़ रही, जो वि.व. 2021-22 (₹14,12,422 करोड़) की तुलना में 17.8 प्रतिशत अधिक थी। वि.व. 2022-23 में जारी किए गए प्रतिदाय में 38.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (पैराग्राफ 1.3.1)। प्रत्यक्ष कर, वि.व. 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.2 प्रतिशत रहे, और सकल कर राजस्व में इनकी हिस्सेदारी वि.व. 2021-22 के 52.1 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 2022-23 में 54.5 प्रतिशत हो गई (पैराग्राफ 1.4.1)।
- निगम कर से संग्रहण वि.व. 2020-21 में ₹ 7.12 लाख करोड़ से 16.0 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2022-23 में ₹ 8.25 लाख करोड़ हो गया और आयकर वि.व. 2021-22 में ₹ 6.73 लाख करोड़ से 20.0 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2022-23 में ₹ 8.08 लाख करोड़ हो गया (पैराग्राफ 1.4.3 और 1.4.4)।
- वि.व. 2021-22 में गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या 6.72 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2022-23 में 7.29 करोड़ हो गई, वहीं निगमित निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2021-22 में 9.65 लाख से बढ़कर वि.व. 2022-23 में 10.19 लाख हो गई (1.4.10 और 1.4.11)
- बकाया मांग वि.व. 2021-22 में ₹ 19.35 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2022-23 में ₹ 22.74 लाख करोड़ हो गई। निवल संग्रहणीय मांग वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 51,318 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 69,396 करोड़ हो गई। विभाग ने संकेत दिया कि 97.0 प्रतिशत असंग्रहित मांग की वसूली करना कठिन होगा। (पैराग्राफ 1.9.1 और 1.9.2)।

- पिछले तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए कर निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से ₹ 3,588.79 करोड़ की वसूली की। 31 मार्च 2023 तक, पिछले वर्षों के 59,352 मामले हैं जो लेखापरीक्षा में सामने आए तथा आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 28 फरवरी 2025 तक असमायोजित रहे (पैराग्राफ 2.4.3 और 2.6)।
- इस प्रतिवेदन में ₹ 6,252.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 287 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं। ये मामले मुख्यतः ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों, मूल्यह्रास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति, अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट और आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों आदि से संबंधित थे। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 3,120.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले 165 मामलों को स्वीकार किया और ₹ 590.00 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों को स्वीकार नहीं किया। तथापि, 287 मामलों में से आयकर विभाग ने ₹ 4,071.99 करोड़ के कर प्रभाव वाले 197 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 720.15 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। शेष 63 मामलों में, आयकर विभाग ने मार्च 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी (पैराग्राफ 3.1.1)।
- उपरोक्त उद्धृत 287 उच्च मूल्य के मामलों में से, हम ₹ 4,734.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 46 दृष्टान्तों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में सम्मिलित हैं: आयकर गणना पत्रक में ₹ 1,034.66 करोड़ का लाभांश वितरण कर (डीडीटी) न लगाना, जबकि निर्धारण आदेश में लगाने का निर्णय लिया गया था {पैरा 3.2.2 देखें (मामला [])}; ₹ 6,086.88 करोड़ के बजाय ₹ 6,626.85 करोड़ रुपये को आगे ले जाने की अनुचित अनुमति, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 539.97 करोड़ की अधिक आगे ले जाने की हानि हुई और संभावित कर प्रभाव ₹ 186.87 करोड़ हुआ {पैरा 3.3.2 देखें (मामला [])}; ₹ 116.70 करोड़ की आगे लाई गई व्यावसायिक हानि और ₹ 80.26 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास के समायोजन की अनुचित अनुमति, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 100.16 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 3.3.2 देखें (मामला [])}; मार्च 2022 में धारा 263 और 144बी के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 338.61 करोड़ की निर्धारित आय पर पहुंचते समय ₹ 87.68 करोड़ की पूर्व निर्धारित आय पर विचार न करने एवं आयकर गणना शीट में ₹ 68.89 करोड़ की अग्रसारित हानियों के अनुचित समायोजन के परिणामस्वरूप

₹ 135.78 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज और अतिरिक्त प्रतिदाय सहित ₹ 132.29 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 3.4.3 (मामला []) देखें}।

- इस प्रतिवेदन में ₹ 1,677.15 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 194 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं। ये मामले मुख्यतः ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों, मूल्यह्रास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति, अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट और आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों आदि से संबंधित थे। मंत्रालय/आईटीडी ने ₹ 1,150.96 करोड़ के कर प्रभाव वाले 73 मामलों को स्वीकार किया, और ₹ 2.63 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े दो मामलों को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 194 मामलों में से, आईटीडी ने ₹ 1589.65 करोड़ के कर प्रभाव वाले 175 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 36.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। ₹ 49.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष सात मामलों में, आईटीडी ने मार्च 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की/शुरू नहीं की थी (पैराग्राफ 4.1.1)।
- उपरोक्त उद्धृत 194 उच्च मूल्य के मामलों में से, ₹ 1,195.44 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 31 दृष्टांत शामिल हैं। इस अध्याय में वर्णित अनियमितताओं में सम्मिलित हैं: ₹ 38.98 करोड़ की सही निर्धारित आय के बजाय निर्धारित आय को शून्य के रूप में अनुचित रूप से अपनाना सम्मिलित है, जिसमें ₹ 18.55 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.2.2 देखें (मामला [])}; एओपी से संबंधित कर की दर और अधिभार को अनुचित तरीके से लागू करने के कारण ₹ 1,373.67 करोड़ के सही कर के बजाय सिस्टम द्वारा देय कर की अनुचित गणना ₹ 919.12 करोड़ की गई, जिसमें ₹ 571.71 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.2.3 देखें (मामला [])}; आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का अनुचित आरोपण, जिसमें ₹ 98.32 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित है {पैरा 4.2.4 देखें (मामला [])}; ₹ 18.84 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास के समायोजन की अनुचित अनुमति जिसमें ₹ 9.24 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.3.5 देखें (मामला [])}; ₹ 25.91 करोड़ के अस्पष्टीकृत निवेश को प्रभारित करने में चूक जिसमें ₹ 16.21 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.4.6 देखें (मामला [])}; अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अधिक लगाया जाना जिसमें ₹ 104.69 करोड़ का कर अधिक लगाया गया {पैरा 4.5.1 देखें (मामला [])}।

इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में निम्नलिखित चार सिफारिशों को भी शामिल किया गया है:

- (i) विभाग उन मामलों का आकलन/समीक्षा कर सकता है जिनके लिए उपचारात्मक कार्रवाई कालबाधित हो गई है और निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है तथा मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपचारात्मक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए ताकि उपचारात्मक कार्रवाई के लिए कालबाधित मामलों की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों।
- (ii) कर और अधिभार की अनुचित दरों का प्रयोग, ब्याज लगाने में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रण में कमज़ोरियों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें आईटीबीए प्रणाली संकेतों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिससे निर्धारण अधिकारी मामले को अंतिम रूप देने से पहले गणनाओं को सत्यापित कर सकेगा।
- (iii) यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ये केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई है। सभी तरह के निर्धारणों में, जिसमें गैर-संवीक्षा निर्धारण भी सम्मिलित है, ऐसी चूक या भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को न केवल वर्ष के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतया सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।
- (iv) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह जांच करे कि क्या देखी गई "त्रुटियाँ" चूक की त्रुटियाँ हैं या भूल की, और भूल की स्थिति में आयकर विभाग को कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।